an>

Title: Introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA

SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

माननीय सभापतिः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री मनीष तिवारी जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, the House is not in order. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: श्री सौगत राय जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

... (<u>व्यवधान</u>)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill.

... (Interruptions)